(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 932–दो/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–4–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर प्रकरण कमांक 14/अपील/2014–15.

1. अरूण कुमार पिता गोपीनाथजी गुप्ते
2. प्रवीण कुमार पिता अरूण कुमार गुप्ते
निवासीगण ब्राम्हण मोहल्ला गरोठ जिला मंदसौर

–––––आवेदकगण

विरूद्ध

अरविन्द कुमार पिता दत्तात्रय
निवासी गरोठ हा0मु0 भोपाल

–––––अनावेदक

– – – – – – –

श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री शैलेष शास्त्री, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक १४ नवम्बर 2015)

– – – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के आदेश दिनांक 24–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक ने तहसीलदार गरोठ जिला मंदसौर के नामांतरण पंजी कं. 65 दिनांक 05–2–2014 के विरूद्ध अनावेदक को अपने स्व0 पिता दत्तात्रय

के स्थान पर आवेदकगण का नामांतरण एवं बटवारा की जानकारी होने पर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर रिस्पोडेण्ट को सूचना जारी की गई एवं अभिलेख मंगाया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पाण्डेन्ट आवेदकगण की ओर से तीन आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदक के तीन आवेदन में प्रथम धारा 5 अवधि विधान पर विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने, मृतक दतात्रय की मृत्यु दिनांक 25—6—92 को होने के पश्चात भी समयावधि में अपील प्रस्तुत न करने के सम्बन्ध में, द्वितीय धारा 32 एम0पी0एल0आर0सी0 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार न होने पर भी अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता, के सम्बन्ध में प्रस्तुत, तथा तृतीय आवेदन आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 का पेश किया कि अपीलान्ट ने मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश नहीं करने से सम्बन्धित। तीनों आवेदनों पर उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 25—4—15 को आवेदन निरस्त किये तथा प्रकरण बहस के लिए निर्धारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदक को अपील करने की अधिकारिता नहीं थी क्योंकि जब कोई व्यक्ति विचारण न्यायालय में पक्षकार न हो तो उसे अपील करने की अधिकारिता नहीं रहती है। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 05—2—2014 के विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 24—3—15 को समयबाधित प्रस्तुत की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने ग्राह्य करने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष विधिवत आवेदन पेश कर आपत्ति प्रस्तुत

करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के उक्त आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादोक्त भूमि के भूमिस्वामी स्व0 दत्तात्रेय का एकमात्र वारिस पुत्र अनावेदक है। अनावेदक को बिना सूचना दिये तहसील न्यायालय ने नामांतरण पंजी कमांक 65 दिनांक 05—2—2014 के द्वारा आवेदकगणों का नामांतरण कर परस्पर बंटवारा स्वीकार कर दिया, जबकि मृतक का पुत्र होने के नाते वारिसान नामांतरण का अधिकार अनावेदक का था। यह भी तर्क किया कि अनावेदक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई थी और अनावेदक को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था इसलिए उसके द्वारा अपील प्रस्तुत करने का आवेदन के साथ अपील पेश की गई जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने स्वीकार किया। तर्क में यह भी कहा कि जब अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक को मृतक का वारिस होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया और न ही जानकारी दी गई थी ऐसी स्थिति में अनावेदक द्वारा आदेश की जानकारी दिनांक से अपील समय—सीमा में प्रस्तुत की गई थी जिसे ग्राह्य करने एवं आवेदकगण के आवेदन निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 05—2—2014 के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने पर आवेदकगण द्वारा धारा 5 का आवेदन का जबाव, धारा 32 आवेदन एवं आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के

आवेदन पेश किये। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरण कराया है अतः उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी माना है कि अनावेदक मृतक का वारिस होने से अपील करने का अधिकार रखता है तथा जब अनावेदक को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार ही नहीं बनाया तो उसे आदेश की जानकारी कैसे हो सकती है। इस संबंध में 2010 आर एन 157 (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

''परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5–बिना सूचना दिए आदेश पारित– जानकारी दिनांक से बिना समय के लोप के अपील प्रस्तुत की गई– विलंब क्षमा किया जाना चाहिए।''

चूंकि अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा जानकारी दिनांक से प्रस्तुत अपील समय–सीमा में माना है तथा मृतक का पुत्र होने के कारण वारिस होने से अपील को अधिकारी माना है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर आवेदकगण के आवेदन पत्रों का निराकरण किया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 25–4–2015 स्थिर रखा जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर